

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- †488

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

पीएम जनमन योजना

†488 डॉ. जयंत कुमार राय:

श्री नव चरण माझी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) प्रधानमंत्री जनमन योजना के उद्देश्यों और महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रधानमंत्री जनमन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का उद्देश्य 3 वर्षों में मिशन मोड में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क एवं दूरसंचार संपर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी मानकों के प्रति पीवीटीजी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्हें बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर बेहतर बनाना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों के 11 उपायों (हस्तक्षेपों) के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना	मंत्रालय
1	पक्के मकानों का प्रावधान	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2	सड़कों को जोड़ना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	

3	पाइप से जल आपूर्ति व्यक्तिगत या सामुदायिक जलापूर्ति	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	जल शक्ति मंत्रालय
4	दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ (एमएमयू)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	समग्र शिक्षा (छात्रावास)	शिक्षा मंत्रालय
6	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	आंगनवाड़ी सेवाएं (एडब्ल्यूसी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
7	वीडीवीके की स्थापना	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन	जनजातीय कार्य मंत्रालय
8	बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का निर्माण	पीवीटीजी का विकास	
9	अविद्युतीकृत एचएच का ऊर्जाकरण	नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) या एमएनआरई योजना के माध्यम से	विद्युत मंत्रालय
10	मोबाइल टावरों की स्थापना	दूरसंचार विभाग (यूएसओएफ)	संचार मंत्रालय
11	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल	समग्र शिक्षा अभियान और पीएम कौशल विकास	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कौशल विकास मंत्रालय

(ख) और (ग): मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत गतिविधियों/परियोजनाओं का विवरण (20.07.2024 तक), मंत्रालय-वार, **अनुलग्नक-1** में दर्शाया गया है। पीएम-जनमन का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों को कवर करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह अभ्यास शुरू किया है ताकि पीवीटीजी लाभार्थियों/पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को पीएम-जनमन मिशन के तहत कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। कवर किए जाने वाले पीवीटीजी लाभार्थियों की राज्य-वार सटीक संख्या मिशन के तहत स्वीकृत मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों (हस्तक्षेपों) के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है। प्राप्त आंकड़ों (20.07.2024 तक) के आधार पर, राज्य-वार पीवीटीजी की संख्या **अनुलग्नक-II** में सारणीबद्ध की गई है।

राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना था, जो पीएमकिसान, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, इन बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है।

“पीएम जनमन योजना” के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को डॉ. जयंत कुमार राय तथा श्री नव चरण माझी द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. †488 के उत्तर के लिए भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	स्वीकृत विवरण
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	226064 मकान (19788 मकान पूर्ण)
	सड़कों को जोड़ना	2746.17 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ	578 एमएमयू
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप जलापूर्ति	290676 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	1050 आंगनवाड़ी केन्द्र (520 कार्यरत)
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	100 छात्रावास
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	860 गांवों/बस्तियों को कवर किया गया
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत एचएच का ऊर्जाकरण	123530 एचएच
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत स्वीकृत घर	नई सौर ऊर्जा योजना के तहत 5067 परिवारों को मंजूरी दी गई
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	823 एमपीसी
	वीडीवीके की स्थापना	501 वीडिवीके

“पीएम जनमन योजना” के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को डॉ. जयंत कुमार राय तथा श्री नव चरण माझी द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. †488 के उत्तर के लिए भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / विभाग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान (20.07.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य*	पीवीटीजी जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	483408
2	छत्तीसगढ़	233450
3	गुजरात	153516
4	झारखंड	377225
5	कर्नाटक	57047
6	केरल	29511
7	मध्य प्रदेश	1209630
8	महाराष्ट्र	623100
9	ओडिशा	300436
10	राजस्थान	128456
11	तमिलनाडु	381699
12	तेलंगाना	63194
13	त्रिपुरा	272067
14	उत्तर प्रदेश	3527
15	उत्तराखंड	92233
16	पश्चिम बंगाल	62315
17	अंडमान और निकोबार	191
कुल जनसंख्या		4471005

* बिहार और मणिपुर राज्य ने अभी तक डेटा साझा नहीं किया है.
